**संख्या:42/2026/528/35-4-2026/ 35-4002(003)/2/2026**

प्रेषक,

राजेन्द्र प्रसाद,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
अलीगढ़।

नियोजन अनुभाग-4 लखनऊ; दिनांक: 29 मार्च, 2026

विषय: वित्तीय वर्ष 2025-26 में त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत धनराशि की स्वीकृति के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि त्वरित आर्थिक विकास योजनान्तर्गत जनपद-अलीगढ़ में निम्नलिखित तालिका में इंगित कार्यों की रू. **5366.44** लाख (रूपये **तिरेपन करोड़ छियासठ लाख चौवालीस हजार** मात्र जी0एस0टी0 सहित) की लागत पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किश्त के रूप में रू. **1343.00** लाख (रूपये **तेरह करोड़ तैंतालीस लाख** मात्र) की धनराशि आपके निवर्तन पर निम्नांकित विवरण, शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। इन कार्यों हेतु कार्यदायी संस्था उनके सामने इंगित की गयी है:-

(लाख रू. में)

| क्र0 | कार्य का नाम | लम्बाई (किमी0) | अनुमोदित लागत | अवमुक्त धनराशि | कार्यदायी संस्था |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | जिरौली पनेहरा मार्ग से ग्राम लोहगढ़ पथवारी मंदिर तक मार्ग सी0सी0 निर्माण कार्य। | 0.60 | 39.91 | 10.00 | ग्रा0अ0वि0 |
| 2 | बैम्बीपुर मार्ग से ग्राम किरथला में सतीश शर्मा के मकान तक इण्टरलॉकिंग निर्माण कार्य। | 0.62 | 53.55 | 13.00 | ग्रा0अ0वि0 |
| 3 | ग्राम गाजीपुर रोड़ पुल से ग्राम चांदगढ़ी फजलपुर तक मार्ग इण्टरलॉकिंग निर्माण कार्य | 0.50 | 39.75 | 10.00 | ग्रा0अ0वि0 |
| 4 | ग्राम मीरगढ़ी से ग्राम चौमुहा की ओर मार्ग इण्टरलॉकिंग निर्माण कार्य | 0.50 | 42.39 | 11.00 | ग्रा0अ0वि0 |
| 5 | ग्राम मऊपुर में ज्ञान सिंह की दुकान से सतीश शर्मा के पीपल तक मार्ग इण्टरलॉकिंग निर्माण कार्य | 0.53 | 39.91 | 10.00 | ग्रा0अ0वि0 |
| 6 | ग्राम सालपुर मार्ग सेग्राम बलुआपुर तक सी0सी0 मार्ग निर्माण कार्य | 0.60 | 54.83 | 14.00 | ग्रा0अ0वि0 |
| 7 | ग्राम बामौती में प्रेमजीत के घर से पथवारी तक सी0सी0 मार्ग निर्माण कार्य | 0.45 | 44.75 | 11.00 | ग्रा0अ0वि0 |
| 8 | ग्राम मुजफ्फरा में नाले के पुल से रामभूल प्रधान जी के खेत तक सी0सी0 मार्ग निर्माण कार्य। | 0.45 | 32.7 | 8.00 | ग्रा0अ0वि0 |
| 9 | ग्राम गोधा में कल्याण कुशवाहा के घर से मनवीर बघेल तक सी0सी0 मार्ग निर्माण कार्य | 0.45 | 31.6 | 8.00 | ग्रा0अ0वि0 |

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ग्राम हुरसैना से पहासू मार्ग तक सी0सी0 मार्ग निर्माण कार्य | 0.40 | 23.55 | 6.00 | ग्रा0अ0वि0 |
| 11 | ग्राम भीमपुर से ग्राम रायपुर तक मार्ग सी0सी0 निर्माण कार्य। | 0.80 | 58 | 15.00 | ग्रा0अ0वि0 |
| 12 | ग्राम शहवाजपुर मलिकपुरा मार्ग से निन्नामी के घेर तक सी0सी0 निर्माण कार्य। | 0.55 | 39.69 | 10.00 | ग्रा0अ0वि0 |
| 13. | विकास खण्ड धनीपुर के ग्राम कल्याणपुर में मुख्य मार्ग से गौशाला तक सी0सी0 निर्माण कार्य। | 0.70 | 46.78 | 12.00 | ग्रा0अ0वि0 |
| 14. | विकास खण्ड अकराबाद के ग्राम नगरिया पट्टी चाहरन में गांव से बाजार तक सी0सी0 निर्माण कार्य। | 0.60 | 53.10 | 13.00 | ग्रा0अ0वि0 |
| 15. | विकास खण्ड लोधा के ग्राम भरतपुर में भीमसेन प्रजापति के घर से बाढ़ौन मार्ग तक सी0सी0 निर्माण कार्य। | 0.58 | 48.34 | 12.00 | ग्रा0अ0वि0 |
| 16. | विकास खण्ड गोण्डा के ग्राम पाइंनदापुर के ग्राम मगधा में दिनेश चन्द्र शर्मा के ट्यूबेल से शंकरी लेहरीखेड़ा तक सी0सी0 निर्माण कार्य। | 0.60 | 49.40 | 12.00 | ग्रा0अ0वि0 |
| 17. | विकास खण्ड खैर के ग्राम चौधाना में मुख्य मार्ग से गौशाला तक सी0सी0 निर्माण कार्य। | 0.63 | 52.16 | 13.00 | ग्रा0अ0वि0 |
| 18. | विकास खण्ड लोधा के ग्राम वादवामिनी में मुख्य मार्ग से गौशाला तक सी0सी0 निर्माण कार्य। | 0.45 | 38.03 | 10.00 | ग्रा0अ0वि0 |
| 19. | विधानसभा बरौली मे मैन रोड से देव सैनी विद्युत उपकेन्द्र तक सी0सी0 निर्माण कार्य। | 0.73 | 54.23 | 14.00 | ग्रा0अ0वि0 |
| 20. | विकास खण्ड धनीपुर के ग्राम कमालपुर गाजियाबाद कानपुर बाईपास से गांव कमालपुर तक सी0सी0 निर्माण कार्य। | 0.90 | 75.66 | 19.00 | ग्रा0अ0वि0 |
| 21. | विकास खण्ड खैर के ग्राम मदनपुर में शमशान घाट से कमली खेत तक सी0सी0 निर्माण कार्य। | 0.52 | 42.57 | 11.00 | ग्रा0अ0वि0 |
| 22. | विकास खण्ड गोण्डा के ग्राम पंचायत तलेसरा के गांव दमगढ़ी में बाईपास से प्रा0स्कूल तक सी0सी0 निर्माण कार्य। | 0.51 | 38.92 | 10.00 | ग्रा0अ0वि0 |
| 23. | अतरौली विधानसभा के अतरौली में नहर की पटरी से सरस्वती विद्या मन्दिर डिग्री कॉलेज तक मार्ग का नवनिर्माण सी0सी0 कार्य | 0.50 | 50.8 | 13.00 | ग्रा0अ0वि0 |
| 24. | अतरौली विधान सभा के बिजौली ब्लॉक के गांव माउपुर में प्रभु कुटी से ग्राम माउपुर प्राइमरी स्कूल से होते हुए श्री चन्द्र शर्मा के घर तक सी0सी0 कार्य | 0.60 | 51.42 | 13.00 | ग्रा0अ0वि0 |
| 25. | अतरौली विधान सभा के गाजीपुर बरला मार्ग से ग्राम ऊतरा तक मार्ग का नवनिर्माण सी0सी0 कार्य | 1.30 | 91.9 | 23.00 | ग्रा0अ0वि0 |
| 26. | अतरौली विधान सभा के ग्राम पुरैनी से ग्राम इस्माइलपुर तक लिंक मार्ग का नवनिर्माण सी0सी0 कार्य | 1.42 | 99.58 | 25.00 | ग्रा0अ0वि0 |
| 27. | अतरौली विधान सभा के ग्राम सिरौली में अवधेश चौधरी के घर से बोबी के घर तक बोबी के घर से बसंत के घर | 0.60 | 55.54 | 14.00 | ग्रा0अ0वि0 |

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | तक महेश की डेरी से रायसिंह के घर तक सी0सी0 कार्य का निर्माण | | | | |
| 28. | अतरौली विधान सभा के मधापुर पुल से ग्राम रायपुर तक नवनिर्माण सी0सी0 कार्य | 0.59 | 41.6 | 10.00 | ग्रा0अ0वि0 |
| 29. | अतरौली विधान सभा के ग्राम बहादुरपुर में होली चौक से पथवारी मन्दिर तक सी0सी0 कार्य का निर्माण | 0.56 | 55.47 | 14.00 | ग्रा0अ0वि0 |
| 30. | अतरौली विधान सभा के धुर्रा प्रेमगर में रामनिवास के घर से धर्मवीर की चक्की प्राइमरी स्कूल से संदीप चौधरी शिशुपल के घर से राजेन्द्र के घर जगवीर के घर से ओमवीर के घर वीरेन्द्र ओमप्रकाश रविकरन व शेरसिंह के घर तक मार्ग निर्माण कार्य। | 0.62 | 52.66 | 13.00 | ग्रा0अ0वि0 |
| 31. | ग्राम दतावली में चामड़ से लेकर चॉदगढ़ी मोड़ तक सड़क निर्माण कार्य (वि0खंड-गंगीरी(छर्रा) | 0.65 | 56.71 | 14.00 | ग्रा0अ0वि0 |
| 32. | छर्रा में कासगंज-अतरौली मार्ग पर शांन्ति निकेतन आश्रम से दयानन्द सरस्वती इण्टर कालिज तक सड़क निर्माण कार्य (वि0खंड-गंगीरी(छर्रा) | 0.40 | 53.81 | 13.00 | ग्रा0अ0वि0 |
| 33. | ग्राम कल्यानपुर में काली नदी रपटा पुल रोड़ से अतरौली खुर्जा रोड़ तक सड़क निर्माण कार्य (वि0खंड-जवॉ) | 0.72 | 55.02 | 14.00 | ग्रा0अ0वि0 |
| 34. | ग्राम पंचायत नंगला जोतू में दहोढे से नंगला जोतू सड़क तक सड़क निर्माण कार्य (वि0खंड-गोण्डा) | 0.85 | 60.4 | 15.00 | ग्रा0अ0वि0 |
| 35. | ब्लॉक बिजौली के ग्राम लहरा सलेमपुर में डाबर रोड़ से बायपास पर संकरा रोड़ तक सड़क निर्माण कार्य (वि0खंड-बिजौली) | 0.82 | 62.56 | 16.00 | ग्रा0अ0वि0 |
| 36. | ब्लॉक बिजौली के ग्राम चंदियाना में प्रा0 विद्यालय से जानकी के मकान तक सड़क निर्माण कार्य (वि0खंड-बिजौली) | 0.50 | 56.88 | 14.00 | ग्रा0अ0वि0 |
| 37. | ब्लॉक गंगीरी के ग्राम सतरापुर में मुख्य मार्ग से मुन्नेखॉ व अनवार के मकान तक सड़क निर्माण कार्य (वि0खंड-गंगीरी(छर्रा) | 0.50 | 44.38 | 11.00 | ग्रा0अ0वि0 |
| 38. | ग्राम पंचायत डिगसारी में हिरनौटी डिगसारी बाईपास सड़क का नवनिर्माण कार्य (विकासखण्ड-गोण्डा) | 0.50 | 33.66 | 8.00 | ग्रा0अ0वि0 |
| 39. | ग्राम बलरामपुर बलीपुर मुख्य मार्ग रेशमपाल सिंह के घर से पिन्टू के घर होते हुए कौछोड मोड तक एवं बघेल समाज की लिंक गली तक सडक निर्माण कार्य (वि0 खण्ड-धनीपुर) | 0.48 | 46.76 | 12.00 | ग्रा0अ0वि0 |
| 40. | गांव रूस्तमपुर एलम मोड बम्बे की पटरी से ब्राहमणो की मडेया तक सडक निर्माण कार्य (वि0 खण्ड-धनीपुर) | 0.45 | 32.39 | 8.00 | ग्रा0अ0वि0 |
| 41 | खैर गौण्डा मार्ग से ग्राम भोगपुर में इन्द्रजीत के घर तक इण्टरलॉकिंग निर्माण कार्य वि0ख0 खैर। | 0.61 | 47.39 | 12.00 | ग्रा0अ0वि0 |
| 42 | ग्राम नायला में पूर्व माध्यमिक शिक्षा विद्यायलय से सुरेशचन्द्र गौतम के घर तक इण्टरलॉकिंग निर्माण कार्य | 0.55 | 45.34 | 11.00 | ग्रा0अ0वि0 |

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | वि0ख0 खैर। | | | | |
| 43 | ग्राम बूढाका मे बबलू के घर से श्यारौल पुल तक इण्टरलॉकिंग निर्माण कार्य वि0ख0 टप्पल। | 0.62 | 46.46 | 12.00 | ग्रा0अ0वि0 |
| 44 | ग्राम कसेरू मे मैन रोड से चामड मन्दिर तक इण्टरलॉकिंग निर्माण कार्य वि0ख0 चण्डौस। | 0.50 | 44.09 | 11.00 | ग्रा0अ0वि0 |
| 45 | ग्राम सीमरोठी मे जटटारी सीमरोठी मार्ग से सतेन्द्र के मकान तक इण्टरलॉकिंग निर्माण कार्य वि0ख0 टप्पल। | 0.72 | 64.99 | 16.00 | ग्रा0अ0वि0 |
| 46 | ग्राम लालपुर रयातपुर में टंकी वाले कट से शमसान वाला रास्ता यमुना पुस्ता तक इण्टरलॉकिंग निर्माण कार्य वि0ख0 टप्पल। | 0.60 | 55.11 | 14.00 | ग्रा0अ0वि0 |
| 47 | ग्राम शादीपुर नहर पुल से ग्राम बधियार मे चेतराम जी के घर तक इन्टर लॉकिग सडक निर्माणकार्य वि0ख0 टप्पल। | 0.50 | 46.08 | 12.00 | ग्रा0अ0वि0 |
| 48 | ग्राम शादीपुर से ग्राम कारह प्राथमिक स्कूल तकइण्टरलॉकिंग निर्माण कार्य वि0ख0 टप्पल। | 0.66 | 60.6 | 15.00 | ग्रा0अ0वि0 |
| 49 | जटटरी मौर मार्ग से नागल खुर्द प्राइमरी स्कूल तकइण्टरलॉकिंग निर्माण कार्य वि0ख0 टप्पल। | 0.75 | 59.52 | 15.00 | ग्रा0अ0वि0 |
| 50 | ग्राम टीकरी में पथवारी मन्दिर से काली सडक पर योगेन्द्र सिंह के कुआं तकइण्टरलॉकिंग निर्माण कार्य वि0ख0 चण्डौस। | 0.54 | 50.7 | 13.00 | ग्रा0अ0वि0 |
| 51 | गोण्डा इगलास मार्ग से कीर्ति कोल्ड के सामने ग्राम जाखुर तक इण्टरलॉकिंग सड़क निर्माण कार्य | 0.70 | 45.44 | 11.00 | ग्रा0अ0वि0 |
| 52. | विवेकानन्द स्कूल के सामने से गीतम सिंह लोधी के मकान नीवरी की ओर इण्टरलॉकिंग सड़क निर्माण कार्य | 0.56 | 56.05 | 14.00 | ग्रा0अ0वि0 |
| 53. | ग्राम सभा हरोथा के ग्राम गढुआ से भूरंगा तक सड़क निर्माण | 0.50 | 43.92 | 11.00 | ग्रा0अ0वि0 |
| 54. | ब्लॉक लोधा के गांव शहरी मदनगढी मे हरदम सिंह के घर से शिव मन्दिर व बहादुर सिंह के घर से होते हुए टावर तक इण्टरलॉकिंग सड़क निर्माण कार्य | 0.60 | 42.51 | 11.00 | ग्रा0अ0वि0 |
| 55. | ब्लॉक इगलास में गांव लालपुर से मोहनपुर तक इण्टरलॉकिंग सड़क निर्माण कार्य | 0.60 | 53.62 | 13.00 | ग्रा0अ0वि0 |
| 56. | ब्लॉक लोधा मे गांव करहला बागरी मे बिजेन्द्र फौजी के घर से मन्दिर तक इण्टरलॉकिंग सड़क निर्माण कार्य | 0.50 | 45.14 | 11.00 | ग्रा0अ0वि0 |
| 57. | ब्लॉक लोधा में ग्राम सोनेट से हीरपुर तिराहे तक इण्टरलॉकिंग सड़क निर्माण कार्य | 0.90 | 66.45 | 17.00 | ग्रा0अ0वि0 |
| 58. | नवलपुर से गंज तक मार्ग का मिसिगं लिक तक इण्टरलॉकिंग सड़क निर्माण कार्य | 0.80 | 72.3 | 18.00 | ग्रा0अ0वि0 |
| 59. | ब्लॉक इगलास के गांव रामपुर बकटरा मे सासनी रोड से रामपुर बकटरा तक इण्टरलॉकिंग सड़क निर्माण कार्य | 0.55 | 36.85 | 9.00 | ग्रा0अ0वि0 |
| 60. | ब्लॉक इगलास के गांव नगला किशोर में मथुरा रोड से बहादुर सिंह के घर से बाईपास होते हुए मथुरा रोड तक | 0.53 | 43.95 | 11.00 | ग्रा0अ0वि0 |

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | इण्टरलॉकिंग सड़क निर्माण कार्य | | | | |
| 61. | वि0ख0 धनीपुर के गांव खरई से शेखूपुर जलाली मार्ग तक इण्टरलॉकिगं निर्माण कार्य। | 1.54 | 125.23 | 31.00 | ग्रा0अ0वि0 |
| 62. | वि0ख0 अकराबाद के गांव कुतुबपुर अमरपुर से बाल्मीकी मरघट होते हुए कासिमपुर पडाव तक इण्टरलॉकिगं निर्माण कार्य। | 1.00 | 87.78 | 22.00 | ग्रा0अ0वि0 |
| 63. | वि0ख0 गंगीरी में टण्डौली से नत्थू नगला तक इण्टर लॉकिगं निर्माण कार्य। | 1.20 | 94.4 | 24.00 | ग्रा0अ0वि0 |
| 64. | वि0ख0 अकराबाद में नानऊ पुराना हाईवे पर नानऊ से नानऊ नगला (मढैया) इण्टरलॉकिगं निर्माण कार्य। | 0.53 | 44.18 | 11.00 | ग्रा0अ0वि0 |
| 65. | वि0ख0 धनीपुर में चंगेरी निधौला मार्ग पर बम्बा की पुलिया से मई नगला तक इण्टरलॉकिगं निर्माण कार्य। | 0.65 | 58.71 | 15.00 | ग्रा0अ0वि0 |
| 66. | वि0ख0 गंगीरी के गांव गोसपुर मे रामनिवास के घर से प्रेमपाल के घर तक इण्टरलॉकिगं निर्माण कार्य। | 0.40 | 37.84 | 9.00 | ग्रा0अ0वि0 |
| 67. | वि0ख0 अकराबाद मे दुबागढ गांव से मोड तक शेष भाग में इण्टरलॉकिगं निर्माण कार्य | 0.52 | 47.01 | 12.00 | ग्रा0अ0वि0 |
| 68. | ग्राम हैवतपुरसिया सी0सी0 मार्ग से अलीगढ़ बरौली रोड़ की ओर सी0सी0 निर्माण कार्य। | 0.60 | 41.79 | 10.00 | ग्रा0अ0वि0 |
| 69. | विकास खण्ड चण्डौस गभाना बरौली से मोहरैना प्रा0स्कूल तक सड़क निर्माण कार्य। | 1.48 | 86.25 | 22.00 | ग्रा0अ0वि0 |
| 70. | मुजफफरा में पुलिया से गोधा-अतरौली की ओर सी0सी0सड़क निर्माण कार्य। | 0.50 | 47.8 | 12.00 | ग्रा0अ0वि0 |
| 71. | ग्राम चौगानपुर में बम्बा से तेजपाल के घर होते हुए मानसिंह के घर तक सी0सी0 सड़क निर्माण कार्य। | 0.52 | 36.74 | 9.00 | ग्रा0अ0वि0 |
| 72. | नगौला के नगला बघेल से कासिमपुर रोड़ की ओर इण्टरलॉकिंग सड़क निर्माण कार्य। | 0.70 | 53.7 | 13.00 | ग्रा0अ0वि0 |
| 73. | तालानगरी से सपेराभानपुर के माजरा नगला गिरधारी की ओर इण्टरलॉकिंग सड़क निर्माण कार्य। | 0.65 | 48.78 | 12.00 | ग्रा0अ0वि0 |
| 74. | कासिमपुर हरदुआगंज मार्ग से जारौठी तक इण्टरलॉकिंग सड़क निर्माण कार्य। | 0.70 | 52.61 | 13.00 | ग्रा0अ0वि0 |
| 75. | कलुआ से राजमऊ डाबर रोड़ तक सी0सी0 सड़क निर्माण कार्य। | 0.40 | 27.85 | 7.00 | ग्रा0अ0वि0 |
| 76. | ग्राम भोजपुर से भगतपुर तक इण्टरलॉकिंग सड़क निर्माण कार्य। | 0.84 | 76.89 | 19.00 | ग्रा0अ0वि0 |
| 77. | पहासू रोड़ से हुसैना तक सी0सी0 सड़क निर्माण कार्य। | 0.40 | 28.08 | 7.00 | ग्रा0अ0वि0 |
| 78. | गांव कौछोड़ मे रमेश उर्फ मल्ल तौमर के घर से भोजराज अहेरिया ,कालीचरण कुशवाह के घर मनीष,पप्पू जादौन एवं शंकर के घर होते हुये पशु चिकित्सालय तक कार्य का निर्माण। | 0.50 | 53.13 | 13.00 | ग्रा0अ0वि0 |
| 79. | हसनपुर बुजुर्ग प्राथमिक विद्यालय से कुशवाह नगला तक कार्य का निर्माण। | 0.38 | 29.51 | 7.00 | ग्रा0अ0वि0 |

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 80. | गांव गडराना मे ओमप्रकाश मास्टर के मन्दिर से वीरेन्द्र सिह के घर होते हुये ओम प्रकाश मास्टर के घर तक व पुरानी बैक से कैलाश पंडित के घर होते हुये गौरी शंकर शर्मा तक कार्य का निर्माण। | 0.57 | 60.73 | 15.00 | ग्रा0अ0वि0 |
| 81. | क्वार्सी मे पंच बिहार विकास नगर कॉलोनी मे गजेन्द्र के घर से पप्पू के घर होते हुये तेजपाल के घर से आश्रम तक कार्य का निर्माण। | 0.53 | 78.92 | 20.00 | ग्रा0अ0वि0 |
| 82. | सिकरना मे प्राथमिक स्कूल से उसरी तक सडक निर्माण कार्य व जल निकासी का कार्य। | 0.39 | 44.38 | 11.00 | ग्रा0अ0वि0 |
| 83. | मनोहरपुर कायस्थ मे कल्याण सिंह के घर से छेदीलाल बघेल के घर होते हुए ओमप्रकाश प्रजापति के घर होते हुए सहाब सिंह बघेल के घर तक कार्य का निर्माण। | 0.30 | 25.03 | 6.00 | ग्रा0अ0वि0 |
| 84. | गांव भोपतपुर मे होतीलाल कश्यप वाया रमजानी शिवचरनलाल शर्मा, अर्जुन नागर व अशोक बाल्मीकि से लेकर महेशपाल तक व इसकी लिंक गलियां का निर्माण कार्य। | 0.40 | 33.25 | 8.00 | ग्रा0अ0वि0 |
| 85. | समस्तपुर कीरत का बघेल नगला पालमे मुख्य मार्ग की जल निकासी इण्टरलॉकिंग सी सी व लिंक गलियों का निर्माण कार्य। | 0.45 | 57.62 | 14.00 | ग्रा0अ0वि0 |
| 86. | भाकरी अहिवासी में ओमवीर कुशवाह के घर से संजीव के घर तक व लिंक गलियों का निर्माण कार्य। | 0.38 | 25.97 | 6.00 | ग्रा0अ0वि0 |
| 87. | पलाऐसी में प्राथमिक स्कूल से पोखर के सहारे होते हुए मुकेश शर्मा के घर तक का निर्माण कार्य। | 0.18 | 18.87 | 5.00 | ग्रा0अ0वि0 |
| 88. | आबूपुर मे कन्हैया लाल प्रजापति के घर से डॉ0 रवि के घर तक तथा अवधेश के घर से कल्लन के घर तक एवं बब्बू सिंह के घर तक व लिंक गलियों का निर्माण कार्य। | 0.28 | 23.88 | 6.00 | ग्रा0अ0वि0 |
| 89. | जल्लूपुर सिहोर में लालाराम बघेल के घर से चन्द्रपाल बघेल के घर होते हुए चामड मन्दिर एवं दिनेश कुशवाह के घर से मुनेश शर्मा चक्की वालों के घर होते हुए मूलचन्द्र के घर तक निर्माण कार्य। | 0.51 | 46.32 | 12.00 | ग्रा0अ0वि0 |
| 90. | ब्लॉक अतरौली ग्राम मढौली में नवरत्न सिंह के घेर से जमालगढी तक सी0सी0 निर्माण कार्य। | 0.73 | 56.39 | 14.00 | ग्रा0अ0वि0 |
| 91. | ब्लॉक अतरौली ग्राम बढौली मे नेक सिंह के घर से योगेन्द्र कुमार रतीराम ओमप्रकाश के घर तक सी0सी0 निर्माण कार्य। | 0.43 | 38.34 | 10.00 | ग्रा0अ0वि0 |
| 92. | ब्लॉक बिजौली देवी सहाय शर्मा के बाग से प्राथमिक विद्यालय अबूनासिरपुर ऊनासिर तक सी0सी0 निर्माण कार्य। | 0.53 | 45.37 | 11.00 | ग्रा0अ0वि0 |
| 93. | ब्लॉक अतरौली ग्राम सिमथला में श्री शिवचरन के खेत से राकेश के घर तक सी0सी0 निर्माण कार्य। | 0.66 | 54.93 | 14.00 | ग्रा0अ0वि0 |
| 94. | ब्लॉक अतरौली ग्राम गहतौली निर्मल में हरपाल सिंह के | 1.15 | 87.81 | 22.00 | ग्रा0अ0वि0 |

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | खेत से डोरी लाल के खेत तक सी0सी0 निर्माण कार्य। | | | | |
| 95. | ब्लॉक अतरौली ग्राम जामुना में किशोरी लाल के घेर से रेलवे लाइन तक सी0सी0 निर्माण कार्य। | 0.58 | 42.85 | 11.00 | ग्रा0अ0वि0 |
| 96. | ब्लॉक अतरौली ग्राम शेखूपुर मे नहर पुल से दलवीर के घर तक सी0सी0 निर्माण कार्य | 0.46 | 32.97 | 8.00 | ग्रा0अ0वि0 |
| 97. | ब्लॉक अतरौली ग्राम खेडिया रफातपुर मे छोइया के पुल से जोगन बाबा के तिराहे तक सी0सी0 निर्माण कार्य। | 0.25 | 18.7 | 5.00 | ग्रा0अ0वि0 |
| 98. | ब्लॉक बिजौली ग्राम पालीमुकीमपुर स्थित बिजौली मार्ग से देवेन्द्र प्रधान जी के टयूवैल एवं इण्टर कॉलेज तक सी0सी0 निर्माण कार्य। | 0.51 | 39.53 | 10.00 | ग्रा0अ0वि0 |
| 99. | ब्लॉक अतरौली ग्राम गहतौली निर्मल मे बनवारी लाल के खेत से डॉ0 राजेन्द्र सिंह के खेत तक सी0सी0 निर्माण कार्य। | 0.88 | 66.62 | 17.00 | ग्रा0अ0वि0 |
| 100. | ब्लॉक अतरौली ग्राम कासिमपुर खुशीपुरा का नगला मन्दिर में रामेश्वर सिंह के घर से करतार सिंह के घर तक सी0सी0 निर्माण कार्य। | 0.23 | 19.44 | 5.00 | ग्रा0अ0वि0 |
| 101. | तीन पार्क से बीमा हॉस्पीटल के पीछे ईडब्लूएस क्वाटर्स व तिकोना पार्क के आस- पास मार्ग निर्माण। (सी0 सी0 रोड) | 0.75 | 70.17 | 18.00 | ग्रा0अ0वि0 |
| 102. | जयगंज, श्यामबाबू पेशकार के मकान से अजय गुनिया के मकान तक व प्रकाश मुन्शी की टाल से लेकर पाती राम की बगीची तक मार्ग निर्माण।(सी0 सी0 रोड) | 0.40 | 44.09 | 11.00 | ग्रा0अ0वि0 |
| 103. | सराय भोलानाथ मंगलेश्वर महादेव मन्दिर से नवज्योति पब्लिक स्कूल होते हुए अनारकली शौचालय तक व डॉ0 कमल वाली गली में मार्ग निर्माण।(सी0 सी0 रोड) | 0.50 | 63.11 | 16.00 | ग्रा0अ0वि0 |
| 104. | कृष्णविहार कॉलोनी मित्र मण्डल धर्म कांटे के पीछे गूलर रोड पर मार्ग निर्माण।(सी0 सी0 रोड) | 0.40 | 36.87 | 9.00 | ग्रा0अ0वि0 |
| 105. | बाल्मीकि क्वार्टर बाईपास से ख्वाजा चौक तक मार्ग निर्माण।(सी0 सी0 रोड) | 0.45 | 68.65 | 17.00 | ग्रा0अ0वि0 |
| 106. | सुरक्षा विहार मुख्य मार्ग से जे0पी0 स्कूल तक मार्ग निर्माण।(सी0 सी0 रोड) | 0.60 | 59.48 | 15.00 | ग्रा0अ0वि0 |
| | **योग:** | | **5366.44** | **1343.00** | |

1. स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिये किया जायेगा जिसके निमित्त स्वीकृत की गयी है तथा किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा एवं व्यय स्वीकृत धनराशि तक सीमित रखा जायेगा।
2. प्रदेश की राजकीय कार्यदायी संस्थाओं को सेंटेज चार्ज वित्त विभाग के शासनादेश सं0-01/2023/ए-2-7/10-2023-17(4)/75 दिनांक 17 मार्च, 2023 के अनुसार देय होगा। योजनान्तर्गत कंटीजेंसी अनुमन्य नहीं है।
3. कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि इस हेतु राज्य सरकार, केन्द्र सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं हुई है और न ही यह कार्य किसी अन्य परियोजना/योजना के अंतर्गत अनुमोदित कार्य योजना में सम्मिलित है।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

4. निर्माण कार्य को प्रारम्भ करने के पूर्व स्थलीय निरीक्षण के उपरांत वित्तीय नियम संग्रह भाग-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार विस्तृत आगणन तैयार करते हुए कार्यदायी संस्था द्वारा सक्षम स्तर की तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त की जायेगी। सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही निर्माण प्रारम्भ कराया जायेगा।
5. वित्त विभाग के शासनादेश सं0-10/2021/बी-2-96/दस-2021-10/99 दिनाँक 22 मार्च, 2021 के अनुसार प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के उपरान्त तकनीकी स्वीकृति की लागत 10 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हो रही है, तो प्रायोजना का पुनरीक्षण आगणन का गठन करते हुए 3 माह के भीतर पुनरीक्षित आगणन पर अनुमोदन प्राप्त किया जाये।
6. वित्त विभाग के शासनादेश सं0-01/2023/ए-2-60/दस- 2023-17 (4)/75, दिनांक 17 मई, 2023 के अनुसार परियोजना की वित्तीय स्वीकृति व प्रथम किश्त मूल्यांकित लागत पर जारी की जाये, किन्तु द्वितीय किश्त जारी करने से पूर्व परियोजना की लागत को निविदा में प्राप्त मूल्य (टेण्डर कॉस्ट) के अनुसार विहित प्रक्रिया का पालन करते हुए पुनरीक्षित करा लिया जाये। परियोजना की अनुवर्ती किश्तें पुनरीक्षित लागत के आधार पर ही जारी की जायें ताकि कार्यदायी संस्था को कार्य की वास्तविक लागत से अधिक धनराशि अवमुक्त न हो सके।
7. समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियों एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स नियमानुसार सक्षम स्तर से प्राप्त करके निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
8. प्रायोजनान्तर्गत 18 प्रतिशत की दर से जी0एस0टी0 की धनराशि सम्मिलित है। निर्धारित व्यवस्था के अनुसार जी0एस0टी0 का भुगतान सुनिश्चित कराया जाय। प्रायोजना के निर्माण कार्यों में वास्तविक खपत (CONSUMED)हुई मुख्य सामग्री (सीमेन्ट / स्टील / ग्रिट/मोरम इत्यादि) की मात्राओं का अनुपातिक मानक मिलान करते हुए जी0एस0टी0 का भुगतान किया जाये। जी०एस०टी० के सम्बन्ध में वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8 के शासनादेश सं0-2/2022/ई-8-202/दस-2022, दिनांक 13 सितम्बर, 2022 में निहित व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
9. परियोजना की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना हेतु जनपद स्तर पर कार्यकारी आदेश निर्गत करने जिसे पूर्व जिलाधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना / कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।
10. कार्य का निर्माण, लागत आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्राविधानों के अनुसार किया जायेगा। कार्य निर्धारित समय-सीमा अवधि में ही पूर्ण कर लिया जाये तथा भविष्य में प्रायोजना का कोई पुनरीक्षण स्वीकार नहीं होगा। कार्य के लागत आगणन में किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन जैसे मार्ग की लम्बाई/चौड़ाई में परिवर्तन, प्रस्तावित क्रस्ट डिजाइन में संशोधन, स्वीकृत प्रायोजना के स्कोप में परिवर्तन आदि व्यय वित्त समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।
11. कार्य की भौतिक/वित्तीय प्रगति की समीक्षा सी०एम०आई०एस० पोर्टल पर जिलाधिकारी द्वारा नियमित रूप से की जायेगी। व्यय/प्रगति सम्बंधी अपेक्षित विवरण उपलब्ध कराने का दायित्व जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी का होगा और उनके द्वारा स्वीकृत कार्य की भौतिक/वित्तीय प्रगति का विवरण नियोजन विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा।
12. स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्रावधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

---

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

13. त्वरित आर्थिक विकास योजना के मार्गदर्शी सिद्धान्तों से संबंधित शासनादेश संख्या-29/2018/1084/35-4-2018 दिनांक 24 सितम्बर, 2018 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
14. प्रश्नगत निर्माण कार्य/व्यय शासन द्वारा स्वीकृत आगणन के अनुसार किये जायेंगे।
15. ई-टेण्डरिंग/ई-प्रोक्योरमेण्ट प्रणाली लागू किये जाने से सम्बन्धित शासनादेश संख्या-1067/78-2-2017-42आईटी/2017 दिनांक 12 मई, 2017 तथा शासनादेश संख्या-1107/78-2-2017-42आईटी /2017 दिनांक 12 मई, 2017 एवं तदविषयक शासनादेशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
16. परियोजना की लागत में टाइम ओवर रन/कास्ट ओवर रन न हो। इस सम्बन्ध में शासन द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों एवं बजट मैनुअल के प्रस्तर-212 (vii) में दिये गये निर्देशों का कडाई से अनुपालन सुनश्चित किया जायेगा।
17. जिलाधिकारी द्वारा निर्माण कार्य को प्रारम्भ कराने के लिए स्वीकृत आगणन के अनुसार उक्त कार्य हेतु अधिकृत कार्यदायी संस्था को कार्यकारी आदेश प्रदान किया जायेगा तथा कार्यकारी आदेश के साथ स्वीकृत आगणन की एक प्रति संस्था को उपलब्ध करायी जायेगी।
18. अपेक्षित औपचारिकतायें पूर्ण कर जिलाधिकारी द्वारा कार्य हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि नियमानुसार कोषागार से आहरण कर कार्यदायी संस्था को अवश्य उपलब्ध करा दी जायेगी।
19. परियोजनाओं के लिए स्वीकृत धनराशि को स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया/राष्ट्रीयकृत बैंकों में ही रखा जाय और यदि धनराशि पर कोई ब्याज अर्जित किया गया है तो उसे राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित किया जाय।
20. स्वीकृत की जा रही धनराशि संबंधित जनपद के जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी द्वारा जिलाधिकारी की अनुमति से आहरित कर उपलब्ध करायी जायेगी।
21. स्वीकृत धनराशि का उपयोग प्रत्येक दशा में 31 मार्च, 2026 तक पूर्ण रूपेण कर लिया जायेगा और यदि कोई धनराशि अप्रयुक्त बचती है तो उसे 31 मार्च, 2026 से पूर्व समर्पित किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का पूरा लेखा-जोखा अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव नियोजन अनुभाग-4 को 31 मार्च, 2026 तक प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
22. राजकोष से आहरित धनराशि का त्रैमासिक आधार पर मिलान महालेखाकार उत्तर प्रदेश में अनुरक्षित लेखों से अनिवार्यतः कराया जायेगा तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात 3 माह में अर्थात 30 जून, 2026 तक स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष हुए व्यय का महालेखाकार द्वारा सत्यापित विवरण नियोजन विभाग को प्रेषित किया जायेगा।
23. कार्य स्थल पर त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत स्वीकृत होने के तथ्य के साथ-साथ मुख्य विवरण शिला पट्टिका/बोर्ड के रूप में जन-साधारण की जानकारी हेतु प्रदर्शित किये जायेंगे।
24. जिलाधिकारी द्वारा समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण कार्य भी सुनिश्चित कराया जायेगा और इसके लिए कार्यदायी संस्था से प्रभावी समन्वय किया जायेगा। कार्य को निर्धारित विशिष्टियों तथा मानकों के अनुरूप गुणवत्ता नियंत्रण सुनिश्चित करते हुए समयबद्ध ढंग से पूरा किया जायेगा। कार्य की गुणवत्ता में कमी पाये जाने पर कार्यदायी संस्था उसके लिये उत्तरदायी होगी।
25. कार्य में प्रयोग की जाने वाली सामग्री/उपकरणों का क्रय सुसंगत स्टोर परचेज नियमों तथा आदेशों के अंतर्गत किया जायेगा।
26. यथावश्यक द्विरावृत्ति से बचने के लिए कार्य प्रारम्भ होने से पूर्व एवं कार्य समाप्ति के पश्चात वीडियोग्राफी भी करायी जाय।

---

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

27. अवमुक्त धनराशि का निर्धारित प्रारूप पर उपयोगिता प्रमाण-पत्र नियोजन विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा।
28. कार्य से सृजित होने वाली परिसम्पत्तियों का हस्तांतरण कार्यदायी संस्था द्वारा कार्य की समाप्ति के पश्चात नियमानुसार सम्बंधित प्रशासकीय विभाग को किया जायेगा। संबंधित प्रशासकीय विभाग द्वारा सृजित परिसम्पत्ति के रख-रखाव की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी। इस हेतु त्वरित आर्थिक विकास योजना से धनराशि अनुमन्य नहीं होगी।
29. वित्त विभाग के शासनादेश सं0-01/2023/ए-2-60/दस- 2023- 17(4)/75, दिनांक 17 मई, 2023 के अनुसार परियोजना की द्वितीय किश्त हेतु निविदा में प्राप्त मूल्य (टेण्डर कॉस्ट) के अनुसार विहित प्रक्रिया का पालन करते हुए जनपद/कार्यदायी संस्था द्वारा कार्य की वास्तविक लागत के अनुसार मांग की जायेगी। यदि निविदा के बाद कार्यों की लागत में कमी आती है तो बचत की धनराशि को सुसंगत वित्तीय नियमों के अन्तर्गत राजकोष में जमा किया जायेगा।
30. प्रस्ताव का परीक्षण लागत आगणन में प्रस्तावित कार्य प्रावधानों को यथावत् मानते हुए किया गया है। मार्ग निर्माण की लम्बाई/चौड़ाई में परिवर्तन, प्रस्तावित क्रस्ट डिजाइन में संशोधन, स्वीकृत प्रायोजना के स्कोप में परिवर्तन आदि पर सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा। प्रशासकीय विभाग द्वारा इस आशय का उल्लेख सम्बन्धित स्वीकृति आदेश में सम्मिलित किया जायेगा।
31. प्रश्नगत कार्य के लिये नियमानुसार लेबर सेस की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि उक्त धनराशि श्रम विभाग को भुगतान की जायेगी।
32. नियोजन विभाग के शासनादेश संख्या: 60/2025/440/35-4-2025/35-4099/184/2023 (पार्ट-1) दिनांक 22 अप्रैल, 2025 में निहित व्यवस्था के अंतर्गत सीएमआईएस पोर्टल पर जियोटैगिंग के साथ पीएम गतिशक्ति पोर्टल पर प्रदर्शित किया जायेगा।

2- इस सम्बन्ध में उपर्युक्त कार्यों पर होने वाले व्यय रू. **1343.00 लाख** को वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक में नियोजन विभाग की अनुदान संख्या-040 के लेखाशीर्षक-5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-04-जिला तथा अन्य सड़के-337-सड़क निर्माण कार्य-03-त्वरित आर्थिक विकास योजना-**0301-ग्रामीण क्षेत्रों में नयी सड़कों के लिये एकमुश्त व्यवस्था**- 24-वृहद निर्माण कार्य की मद के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025 दिनांक 27 मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अन्तंर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

राजेन्द्र प्रसाद
संयुक्त सचिव।

**संख्या:42/2026/528(1)/35-4-2026/35-4002(003)/2/2026 तददिनांक**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, प्रयागराज।
3- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, लोक निर्माण/ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग।
4- अपर मुख्य सचिव, वित्त एवं वित्त आयुक्त।

---

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

5- प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0।
6- निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी।
7- मण्डलायुक्त, अलीगढ़ मंडल।
8- प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
9- निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, लखनऊ।
10- मुख्य विकास अधिकारी, अलीगढ़।
11- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, अलीगढ़।
12- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-5
13- सम्बन्धित संयुक्त निदेशक, स्टेट ट्रांसफार्मेशन कमीशन, नियोजन विभाग।
14- जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, अलीगढ़।
15- अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, अलीगढ़।
16-गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

राजेन्द्र प्रसाद
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।